

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग- 1 (अधि०)
संख्या-1897/बीस-1-ई-2009-603(47)/90 टी०सी०-15
लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से कार्यरहित में उत्तर प्रदेश शासन के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा अनुभाग-8 को समाप्त करते हुए "खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग" का गठन किया जाता है जिसका कोड सं०-88 होगा।

2. चिकित्सा अनुभाग-8 में व्यवहृत होने वाले कार्य एवं स्टाफ उक्त नव-गठित विभाग को अंतरित हो जायेंगे।

(J. Singh 30/7/09)
(डॉ० जे०एन० चैम्बर,
प्रमुख सचिव।)

संख्या-1897/बीस-1-ई-2009-603(47)/90 टी०सी०-15, तदिदनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मा० मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री, उ०प्र० के निजी सचिव।
5. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ०प्र० शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।